| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3/04/17 | वकील वादी उपस्थित। पत्रावली कार्य अन्तिम बहस हेतु 19/5/17 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>टोंक (राज.) | |
| 19/5/17 | पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र के अनुसार ख.न. 68/2 रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम बिठोला तहसील टोंक मे स्थित है जो प्रार्थी/वादी के पिता कालू पुत्र काना जाति भील को राजस्व कैम्प अरनियाकेदार मे दिनांक 16.6.83 को आंवटन हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज हुई। प्रार्थीगण के पिता का लगातार कब्जा चला आ रहा था तथा उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की विरासत का नामा0 भी खुल चुका है। अतः अब प्रार्थीगण आवंटन नियम 18 के तहत प्रार्थीगण इस भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे।<br>वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2069–72, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, आदेश, नकल ऑर्डर शीट, आदि संलग्न की जो शामिल पत्रावली है तथा पी.डब्ल्यू –1, 2 व 3 के रूप मे कमशः लालाराम , हीरालाल तथा छीतर भील के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।<br>मैने पत्रावली एवं सलंग्न जमाबंदी का अवलोकन किया। जमाबंदी सवंत 2069–72 के अनुसार उक्त बादग्रस्त भूमि वादीगण/प्रार्थीगण की गैर खातेदारी मे है। यदि वादी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की जा रही है तो वादी को उक्त आंवटन शुदा भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी दिया जाना उचित है। अतः तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आवंटित भूमि ख.न. 68/2 रकबा 6 बीघा ग्राम बिठोला, तहसील टोंक मे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 14 (4) की अपील विचाराधीन नही हो तो प्रार्थीगण /वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी दी जावे। तहसीलदार टोंक को तहरीर जारी होकर, पालना रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।<br>उपखण्ड अधिकारी, टोंक | |

Scanned by CamScanner